



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052025-263003  
CG-DL-E-09052025-263003

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2016]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

## आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2025

का.आ. 2061(अ).— चूंकि केंद्रीय सरकार के, तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 2731(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 21 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित की गई थी, में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के मेट्रो सरेखण को मेट्रो रेल (संकर्म संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची में जोड़ा गया है।

और केंद्रीय सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3915 (अ), तारीख 29 अगस्त, 2023 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 5 सितंबर, 2023 में प्रकाशित की गई थी, में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण- 2 के मेट्रो सरेखण को उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ा गया है।

और चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि मेट्रो रेल के निर्माण और रखरखाव, जिससे यह सरेखण संबंधित है, के लिए और परिवर्तन आवश्यक है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के स्तंभ (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, अर्थात्:-

### सारणी

क्र.सं. (1)	अधिसूचना संख्या और तारीख (2)	संशोधन (3)
1.	अधिसूचना संख्या का.आ. 2731(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2014	उक्त अधिसूचना में, "वासुदेव नगर" शब्दों के स्थान पर "माधव नेत्रालय, वासुदेव नगर" शब्द रखे जाएंगे।
2.	अधिसूचना संख्या का.आ. 3915(अ), तारीख 29 अगस्त, 2023	उक्त अधिसूचना में, "मेट्रो सिटी" शब्दों के स्थान पर "नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. के-14011/13/2023 एमआरटीएस-II]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (यूटी)

### MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (MRTS-II) NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2025

**S.O. 2061(E).**—Whereas the Central Government in the erstwhile Ministry of Urban Development by a notification *vide* number S.O. 2731(E), dated the 20<sup>th</sup> October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 21<sup>st</sup> October, 2014, added the metro alignment of Nagpur Metro Rail Project in the Schedule of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government in the Ministry of Housing and Urban Affairs by a notification *vide* number S.O. 3915(E), dated the 29<sup>th</sup> August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 5<sup>th</sup> September, 2023, added the metro alignment of Nagpur Metro Rail Project Phase-II in the Schedule of the said Act;

And whereas the Central Government is of the opinion that further alteration is necessary for the construction and maintenance of the Metro Railways to which this alignment relates.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the said Act, the Central Government hereby makes the amendments in the notifications specified in column (2) of the table below, to the extent specified in the entries in column (3) of the said table, namely:—

#### TABLE

Sr. No. (1)	Notification number and Date (2)	Amendments (3)
1.	Notification number S.O. 2731(E), dated the 20 <sup>th</sup> October, 2014.	In the said notification,— for the words "Vasudev Nagar", the words "Madhav Netralaya, Vasudev Nagar" shall be substituted.
2.	Notification number S.O. 3915(E), dated the 29 <sup>th</sup> August, 2023.	In the said notification,— for the words "Metro City", the words "National Cancer Institute Metro Station" shall be substituted.

[F. No. K-14011/13/2023-MRTS-II]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (UT).